(33)

विलोपित

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0

II/निग०/सतना/भ.रा./2018/0143 **सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0**

विलोपित विलोपित विलोपित विलोपित

1– बृजेन्द्र सिंह तिवारी पुत्र शत्रुधन सिंह तिवारी उम्र 71 वर्ष।

2– अजय सिंह पुत्र मानेन्द्र सिंह तिवारी उम्र 21 वर्ष।

3– महिपाल सिंह तिवारी पुत्र मानेन्द्र सिंह तिवारी, उम्र 23 वर्ष।

4– सतेन्द्र सिंह तिवारी पुत्र योगेन्द्र सिंह तिवारी, उम्र 44 वर्ष।

5– सूर्यवती पत्नी मानेन्द्र सिंह तिवारी, उम्र 65 वर्ष।

6– योगेन्द्र सिंह तिवारी तनय स्व0 श्री शत्रुधन तिवारी, उम्र 74 वर्ष। सभी निवासी ग्राम पुरवा, तह0 गुंढ़ जिला रीवा म0प्र0

———निगरानीकर्ता/आवेदकगण

अधि० श्री जितेन्द्र तिवारी द्वारा प्रस्तुत 30.12.17

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा)

बनाम

1– राणा सिंह तिवारी तनय स्व0 श्री शत्रुधन सिंह तिवारी, उम्र 40 वर्ष।

2– आनंद कुमार सिंह तिवारी तनय स्व0 शत्रुधन सिंह तिवारी, उम्र 46 वर्ष दोनो निवासी ग्राम पुरवा, तह0 गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

3– अतुल सिंह परिहार तनय रघुराज सिंह परिहार, निवासी सिजाहटा तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

4– प्रिज्म सीमेंट प्रायवेट लिमि0 पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद द्वारा प्रबंधक कार्यालय ग्राम मनकहरी, तह0 रामपुर बघेलान, जिला सतना म0प0

———गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश (तहसीलदार रामपुर बघेलान) दिनांक 28.10.2017 बावत् प्रकरण कमांक 206/अ/74/16-17,

अंतर्गत धारा 50(1) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई

मान्यवर

प्रकरण के तथ्य :–

यह कि आराजी नं0 1752/2 रकवा 0.497हे0 1726/2 रकवा 0.668हे, 1727/2 रकवा 0.128हे0 स्थित ग्राम वैरिहा तह0 रामपुर बघेलान, जिला सतना म0प्र0 के 1/2 भाग के भूमि स्वामी शत्रुधन सिंह तिवारी व 1/2 भागकी भूमिस्वामी देववती पत्नी मनबोध सिंह तिवारी दर्ज थे, और शत्रुधन सिंह तिवारी की मृत्यु दिनांक 30.10.2005 को हो जाने के बाद अनावेदक कमांक 01 राणा सिंह द्वारा सहखातेदार मुस0 देववती को लावल्द फौत बताकर तथा शत्रुधन सिंह का एक मात्र वारिस अपने आप को बता कर अधीक्षक भू'अभिलेख प्रबंधन सतना के न्यायालय से जरिये पंजी कमांक 04 आदेश दिनांक 18.10.2010 के तहत् अपने नाम नामांतरण करा लिया। जबकि स्व0 शत्रुधन सिंह तिवारीके वारिसान के रूप में पत्नी प्रेमवती पुत्र, योगेन्द्र सिंह, बृजेन्द्र सिंह, मानेन्द्र सिंह, आनन्द सिंह, राजा सिंह एवं पुत्री शकुन्तला, राधा , गीता आसिमा, सीमा, मौजूद थी। जिसकी जानकारी अनावेदक कमांक 02 आनंद सिंह को होने पर उक्त नांमांतरण पंजी कमांक 04 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2010 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह0 रामपुर बघेलान, के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी और जरिये अपील प्रकरण कमांक 60/अपील 11–12 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2011 के तहत अनावेदक कमांक 01 राणा सिंह के नाम किया गया नामांरतण आदेश दिनांक 18.10.2010 बावत्पंजी कमांक 04 अधीक्षक भू–अभिलेख प्रबंधन सतना निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण तहसीलदार रामपुर बघेलान की ओर विधिवत् सुनवाई हेतु भेजा गया किन्तु तहसीलदार रामपुर बघेलान द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तह0 रामपुर बघेलान, जिला सतना के आदेश दिनांक 30.09.2011 बावत् प्रकरण कमांक 60/अपील/11–12 के पालन में राजस्व अभिलेख

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक III/निग0/2019/0143 जिला–सतना

वृजेन्द्र सिंह तिवारी/ राणा सिंह तिवारी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 20/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	